20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

389

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ।।/निग./उमरिया/भू.रा/2017/4577

रामप्रशाद जायसवाल पुत्र श्री संम्पत जायसवाल निवासी– ग्राम रक्सा, तहसील–मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) ....आवेदक

22-11-17

बनाम

22-11-17

28-11-17

1– रमरतिया जायसवाल पुत्र श्री लोकनाथ जायसवाल निवासी– ग्राम परासी, तहसील–मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)

2– म.प्र.शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील मानपुर, जिला उमरिया

22/11/17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

............अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 राजस्व निरीक्षक वृत्त मानपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया के क्रमांक 17/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

22/11/17

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त मानपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया के समक्ष भूमि सर्वे क. 148/2/क रकवा 1.826 हैक्टर के संबंध में एक आवेदन पत्र सीमांकन हेतु लिये प्रस्तुत किया था। प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 की भूमि से लगी हुई आवेदक की भूमि सर्वे क. 148/2/ख रकवा 2.428 हैक्टयर स्थित है, जिसका वह अभिलिखित भूमि स्वामी है। इसलिये आवेदक प्रति निगरानी कमां. 1 रमरतिया का सरहदी काश्तकार है, आवेदक को सरहदी भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/4577   रामप्रशाद विरूद्ध रमरतिया व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31-01-19 सदस्य	